



2026: AHC: 33089-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1218/2026

श्रीमती किरण देवी

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता: रज्जन कुमार, तारा चंद कौशल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (शासकीय अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता) को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:
 - (i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का मुकदमा अपराध संख्या 0380 वर्ष 2025, धारा 105, 352, 351(2) बी.एन.एस., 2023 और धारा 3(2)(V) एवं 3(1)(Da) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना- रूरा, जिला- कानपुर देहात के अंतर्गत अभियुक्त/प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करने और उचित कार्रवाई करने का तत्काल आदेश/निर्देश दे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रतिवादी संख्या 3 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.12.2025, मुकदमा अपराध संख्या 0380 वर्ष 2025, धारा 105, 352, 351(2) बी.एन.एस., 2023 और धारा 3(2)(V) एवं 3(1)(Da) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना- रूरा, जिला- कानपुर देहात के अनुपालन में अभियुक्त/प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दे, तथा प्रतिवादी संख्या 3 को मामले की निष्पक्ष जांच करने और अभियुक्त/प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दे।

(iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की वर्तमान परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

(iv) रिट याचिका का खर्च याची के पक्ष में प्रदान करें।"

3. याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची इस मामले में पीड़िता है और विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट याची के देवर/जेठ द्वारा 11.12.2025 को दर्ज कराई गई थी, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।
4. उपरोक्त के आलोक में, याची अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचना की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात के समक्ष एक आवेदन दे सकती है। यदि पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात के समक्ष ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात/प्रतिवादी संख्या-2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।
5. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

13 फरवरी, 2026

के.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"